कुल पृष्ठ संख्या–32 (कवर पेज सहित) क्रम संख्या....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

(In Words)

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में

शब्दों में

नोट :– परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम – हिन्दी ✓ अंग्रेजी

विषय ......राजनीति विज्ञान......

परीक्षा का दिन ......सोमवार......

दिनांक ......11/3/2019......

नोट :– परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :– (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य हैं, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदारणार्थ : 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर.................संकेतांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है।165/2019

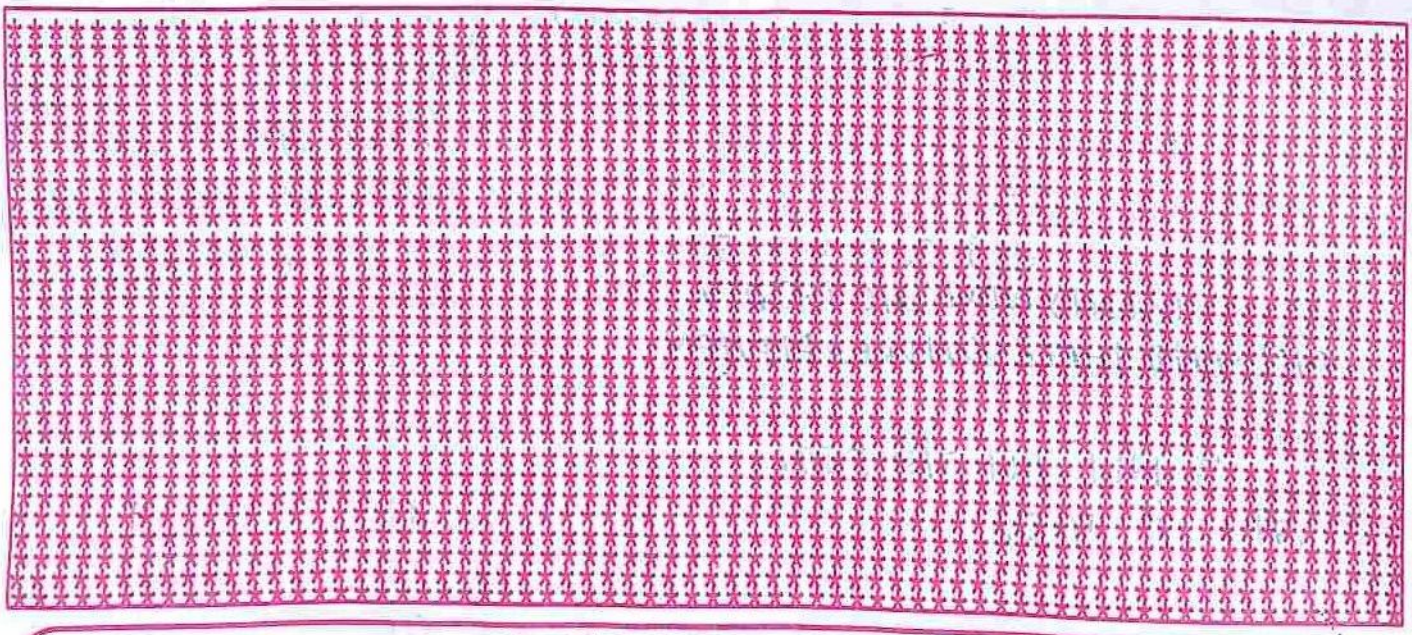

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशषां पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न–पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न–पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
   (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
   (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर–पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
   (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केलक्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध हैं।
   (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस–पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
   (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न–पत्र हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

३०- (1.) राजनीतिक सहभागिता में 'प्रत्याह्वान' महत्वपूर्ण अधिकरण है। इसका अर्थ है- प्रतिनिधि वापस बुलाना। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यदि सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, या वह जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस प्रतिनिधि को जनता वापस बुला सकती है, लेकिन इसमें निश्चित व्यक्तियों के अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से स्विट्जरलैण्ड में सक्रिय है।

३०- 2. पॉलिटिकल सोसिआलाइजेशन पुस्तक के लेखक है- हर्बर्ट साइमन।

०- 3. धर्म और राजनीति के सम्बन्ध में गांधीजी का विचार है कि धर्म और राजनीति एक ही है। धर्म अल्पकालिन राजनीति है, तो राजनीति दीर्घकालिन धर्म है। गांधी जी कामना है- कि धर्म का काम है स्तुति करना व लोगों की भलाई करना, जबकि राजनीतिक का काम है, बुराईयों से लड़ना। अतः दोनों का काम मानव मात्र की सेवा करना है। दोनों के दायरे अलग-2 है पर दोनों की जडें एक है एक सिक्के के दो पहलू है।

- 4. भारत के दो समाजवादी विचारक
(1.) प० जवाहर लाल नेहरू
(2.) राम मनोहर लोहिया।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
उ०	5	नर्मदा बचाओ आन्दोलन का प्रमुख कारण है- इसका सम्बन्ध नर्मदा नदी से था, वहाँ के लोगों ने नर्मदा पर जो बाँध बनाया जा रहा था उसका विरोध किया। क्योंकि उसके बनने से वहाँ के लोगों के लिए खतरा था, यही नर्मदा बचाओ आन्दोलन का कारण था।
उ०	6.	'भूख से मर रहे व्यक्ति के लिये लोकतन्त्र का कोई अर्थ व महत्व नहीं है- यह कथन है- पंडित जवाहर लाल नेहरू।
उ-	7.	संविधान एवं नागरिक अधिकारों की व्याख्या का दायित्व न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायलय) का है।
उ०	8	74 वां संविधान संसोधन अधिनियम का सम्बन्ध नगरीय स्थानीय स्वशासन से है।
उ-	9	साम्प्रदायिता भारत के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक चुनौती है- एक कारण- साम्प्रदायिता के कारण देश में बड़े-2 दंगे होते हैं। साम्प्रदायिता के कारण ही एक-दुसरों में फुट- पड़ती है, और नये राज्यों का उदय होता है। साम्प्रदायिता के कारण राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को हानि पहुचती है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

30- 10 भारत संघ की राजभाषा 'हिन्दी' का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 353 में है।

30- 28

(ज) वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त- मार्क्स ने अपनी पुस्तक 'कम्युनेस्टो मनोफस्टो' में अब तक के समाज को वर्ग संघर्ष का समाज बताया है, मार्क्स का कहना है कि अब तक समाज में जो भी वर्ग हुआ है, वह परस्पर विरोधी वर्ग थे, जिनमें संघर्ष चलता रहा है। मार्क्स ने अब तक समाज को 6 अवस्था बताई है।

(1) साम्यवादी अवस्था - पवित्र अवस्था
(2) दास अवस्था - स्वामी व दास
(3) सामन्ती अवस्था - सामन्त व किसान
(4) पूंजीवादी अवस्था - पूंजीपति व श्रमिक
(5) सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद
(6) साम्यवादी अवस्था

मार्क्स समाज के दो भाग माने है।
(1) आधार
(2) अधिरचना

वर्ग संघर्ष - वर्ग - जिनके आर्थिक हित समान होते है। जैसे- पूंजीपति श्रमिक
संघर्ष - व्यापक अर्थ - दोष, असंतोष, विद्रोह आदि

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

आलोचना - (1) अब तक का समाज वर्ग संघर्ष का समाज नहीं है।

(2.) मनुष्यों में परस्पर सहयोग की भावना होती है न कि संघर्ष की।

(3.) मार्क्स ने आर्थिक तत्वों पर अनावश्यक जोर दिया है।

(4.) समाज का वर्ग विहीन समाज पर आकर रुकना सम्भव नहीं।

5. इसने श्रमिक वर्ग में जागृति उत्पन्न की (महत्व)

(ब) अतिरिक्त मूल्य - अतिरिक्त मुल्य का आशय - उत्पादन व विनिमय मुल्य का अन्तर ही अतिरिक्त मुल्य कहलाता है.

मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मुल्य पर श्रमिक वर्ग का अधिकार होना चाहिए है, लेकिन इस पर पूंजीपतियों ने अपना अधिकार कर लिया है. मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को उदा० द्वारा परिभाषित किया है.

माना एक वस्तु की कीमत - 100 रु

श्रमिको को दिये - 20

कच्ची वस्तु की लागत - 20

तो अतिरिक्त मूल्य -

100 - 20 - 20 = 60 रुपये.

मार्क्स इस पर श्रमिक वर्ग का अधिकार मानता है. यह श्रमिक वर्ग को मिलना चाहिए।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

अतिरिक्त मूल्य के कारण -

(1) अतिरिक्त जनसंख्या का कारण।

(2) श्रमिक वर्ग की दयनीय दशा।

(3) गरीबी

आलोचना - (1) मार्क्स ने इसमें मानसीक श्रम की अवहेलना की है।

(2) क्रान्ति श्रमिक वर्ग की बजाये बुद्धिजीवी वर्ग से ज्यादा सम्भव है।

(3) समाज में दो ही वर्ग नहीं होते हैं।

30- 29 भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के छः लक्षण-

(1) एक संविधान - भारत में संघ व राज्यों के लिए अलग-2 संविधान की व्यवस्था नहीं है। यहां पर संघ व राज्यों के लिए एक संविधान की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में संघ व राज्यों के लिए अलग-2 संविधान बनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में यह प्रावधान नहीं है। यह लक्षण एकात्मक व्यवस्था का है।

(2) इकहरी नागरिकता - भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा भारत की विशाल बहुलता को देखते हुए, बाहरी विघटनकारी समस्याओं को रोकने के लिए किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(3.) शासन शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में - भारत शासन शक्तियों का विभाजन तीन सुचियों के अन्तर्गत किया गया है। (1) संघ सूची, (2) राज्य सूची, (3) समवर्ती सूची। इन सूचियों के द्वारा शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में किया गया है। क्यों कि राज्य सूची की अपेक्षा संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय छोड़े गये हैं। और समवर्ती सूची व अवशिष्ट शक्तियाँ भी केन्द्र को दी गई है।

(4.) राज्यपाल का पद - प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह राज्य में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वर्तमान में जब मुख्यमंत्री का पद नाममात्र का रह गया है, और राज्यपाल और शक्ति शाली बन गया है। जो केन्द्र को मजबुत बनाता है।

(5.) व्यवस्थापिका का शक्तिशाली होना - भारतीय संसद को अत्याधिक शक्तिशाली बनाया गया है, कार्यपालिका को अपनी शक्तियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है, तथा व्यवस्थापिका कभी-2 न्यायपालिका के विरुद्ध भी कानून बनाती है व्यवस्थापिका (संसद) का इतना शक्तिशाली होना एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(6) शक्तियों का विभाजन नहीं- भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, संघ तथा राज्यों में शक्तियाँ बाटी नहीं गई है। बल्कि समस्त कार्यपालिका व व्यवस्थापिका शक्ति केन्द्र को प्रदान की गई है। राज्य को अपनी शक्तियों के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यह एकात्मक लक्षण है।

उ० 30 भारतीय संविधान की विधि निर्माण प्रक्रिया-

(1) विधेयक का प्रस्तुतीकरण- अनुच्छेद 109 में विधेयक के प्रस्तुतीकरण का वर्णन है। विधेयक दो प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। यह दोनों विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह विधेयक का प्रस्तुतीकरण कहलाता है-

(2) विधेयक पहले चरण में- विधेयक जिस चरण में प्रस्तुत किया जाता है, उस चरण से उसे तीन चरणों से गुजरना पड़ता है।

(अ) प्रथम चरण- प्रथम चरण में विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जाती है, तथा उसे प्रस्तुत करने या ना करने की अनुमति वह सदन देता है, विधेयक जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वह सदन में खड़ा होकर प्रस्तुत करने की अनुमति (अध्यक्ष / उपाध्यक्ष या सभापति) से मांगता है, यह पूरी प्रक्रिया प्रथम चरण कहलाता है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(ब) द्वितीय चरण:- द्वितीय चरण में विधेयक को प्रत्येक एक के बाद एक सदस्य के पास भेजा जाता है, तथा प्रत्येक शब्द की बारिकी से जाँच होती है, तथा प्रत्येक चरण में आवश्यक बदलाव किये जाते है, तथा प्रत्येक शब्द पर मतदान होता है। यह पुरी प्रक्रिया द्वितीय चरण कहलाती है।

(स) तीसरा चरण:- प्रत्येक शब्द की बारिकी से जाँच होने पर एक बार पुनः सभी से पूछा जाता है, तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से उस विधेयक पर मतदान की अनुमति माँगी जाती है। तथा मतदान के बाद यह यदि निर्णय विधेयक के पक्ष में आता है, तो वह उस सदन से पास समझा जाता है और उसे दुसरे सदन में भेजा जाता है।

(ग) विधेयक द्वितीय सदन में:- प्रथम सदन में विधेयक के पास होने पर उसे द्वितीय सदन में भेजा जाता है। तथा द्वितीय सदन में भी इस को इन जटिल परिस्थियो या तीन चरणो से गुजरना पड़ता है, यदि यह विधेयक इस सदन में भी पास हो जाता है, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है लेकिन यदि दुसरा सदन इसे पास ना करे और छः माह तक उस पर कोई चर्चा ना

...क द्वारा ...त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

करे, तो दूसरा सदन समझ लेता है, कि दोनों में गतिरोध है। और उस गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन करता है।

(5.) संयुक्त बैठक- संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और इस की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है. दोनों विधेयक पर चर्चा करते है, और उसमें दुबारा आवश्यक बदलाव करते है यदि वह विधेयक संयुक्त बैठक में भी पास नही होता है, तो वह विधेयक खारिज हो जाता है. और यदि उसको पास कर दिया जाता है. तो वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है।

5 विधेयक राष्ट्रपति के पास- दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पास करने पर उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है. राष्ट्रपति उस को पुनः चर्चा हेतु दोनों सदनों में वापस भेज सकता है, यदि उसमें कोई बदलाव किये बगर वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है।

अतः यह जटिल प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही समाप्त होती है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

उ0 (11) शक्ति व बल में अन्तर –

	शक्ति	बल
(1)	शक्ति प्रछन्न बल है।	जबकि बल प्रछन्न शक्ति है
(2.)	शक्ति अप्रकट तत्व है।	जबकि बल प्रकट तत्व है
(3.)	शक्ति दमनात्मक। भौतिकवाद पर आधारित है।	जबकि बल मनोविज्ञानिक पर आधारित है।
(4.)	शक्ति को स्पष्ट करने के लिए बल की आवश्यकता होती है।	लेकिन बल को स्पष्ट करने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है।

उ0 12. [नकारात्मक] उदारवाद की दो विशेषता –

(1) यह व्यक्ति को असीमित स्वतन्त्रता का समर्थन करता है।

(2.) यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है।

(3.) यह राज्य को साधन व व्यक्ति को साध्य मान कर चलता है।

(4.) वही सरकार श्रेष्ठ है, जो कम से कम शासन करें।

उ0 13. वैश्वीकरण – वैश्वीकरण का अर्थ है, विश्व बाजार को खुलना तथा विश्व में एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना।

BSER 165/2019

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

वैश्वीकरण से तात्पर्य है- राष्ट्रों का राष्ट्रीयकरण, विश्व को एक साझा बाजार बनाना, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्थापना करना, विश्व के सभी देशों मे व्यापार की स्थिति बनाना, विश्व के सभी देशों में सामंजस्य स्थापित करना तथा व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ना ही वैश्वीकरण है।

वैश्वीकरण के कारण विश्व एक छोटा सा मंच बन गया है, सभी देश एक-दूसरे के नजदीक आ गये है, तथा विश्व तकनीकि व प्रशिक्षण के माध्यम से छोटा होगया है।, यही वैश्वीकरण है।

उ० 14 नियोजन - सोच-समझकर सही दिशा में उठाया गया, प्रथम कदम ही नियोजन है, इसके लिए आवश्यक है- कि उद्देश्य स्पष्ट, अवधि निश्चित हो तथा लक्ष्य सुनिश्चित हो।

नियोजन संसाधनों के संगठन की ऐसी विधि है. जिसके द्वारा संसाधनों का लाभप्रद उपयोग निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

~~अतः~~ ~~ऐसा~~ नियोजन देश की विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यकता के दो कारण -

(1) नियोजन के द्वारा सभी उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाया जाए, और उनका उपयोग, निश्चित ~~उद्दे~~ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाये.

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(2) नियोजन के द्वारा ही ससाधनों का लाभप्रद उपयोग निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों को मिल सकता है।

(3) नियोजन के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समुचित अवसर मिल सकते है। आदि

उ० 15 भारत में मन्त्रीपरिषद के आकार के सम्बन्ध में सवैधानिक प्रावधान है। कि भारतीय संविधान में 91 वें सविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया है। कि भारत के मन्त्रीपरिषद की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अतः वर्तमान में मन्त्रीपरिषद को इतनी ही संख्या निर्धारित है।

उ० 16 क्षेत्रवाद- अपने किसी क्षेत्र विशेष को वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अपने राज्य या देश से बढ़कर महत्व देना ही क्षेत्रवाद कहलाता है।

समाधान के उपाय -

(1) वहाँ के लोगों के मन में देश प्रेम की भावना को सचार करना चाहिए, ताकि उनके मन से क्षेत्र विशेष की भावना खत्म हो सके।

(2) उन लोगों को वह सभी सुविधा प्राप्त करनी चाहिए, जो सभी को उपलब्ध है।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(3.) क्षेत्र विशेष के लोगों को देश भावना से प्रेरित करना चाहिए न कि उन को क्षेत्र विशेष की भावना से।

(4.) क्षेत्र विशेष की भावना वहाँ के स्थानीय नागरिकों को समाप्त करनी चाहिए।

30. 17 भारत नेपाल मतभेद के दो बिन्दु -

(1) 1950 की सन्धि - जुलाई, 1950 को दोनों देशों के मध्य एक ऐतिहासिक सन्धि हुई, जिसके चलते यह स्टार्ट किया गया की, दोनों देशों के व्यापारी एक दुसरे देश में बिना किसी शुल्क के व्यापार कर सकते हो और लाभ कमा सकते हो कुछ समय तक यह सन्धि दोनो देशों में सक्रिय रही, लेकिन नेपाल ने 1967 में भारतीय व्यापारियों पर 'वर्क परमिट' की शर्त लगा दी। और 1985 में यह सन्धि समाप्त हो गई, यह मतभेद का प्रमुख कारण थी।

(2.) नेपाल में लोकतंत्र की राह - 2006 में नेपाल में सप्तामिपों का शासन खत्म हो गया, और 2008 में वहाँ से राजशाही समाप्त हो गई, तो भारत ने नेपाल का संविधान बनाने का वादा किया लेकिन नेपाल के संविधान में मधेशी समुदाय को दोयम दर्जे की नागरिकता दी गई, जिसका उन्होंने विरोध किया, और भारत को उसके साथ खड़ा होना पड़ा,

इन कारणों से भारत नेपाल के बीच मतभेद हो।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

उ० 18 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के दो उद्देश्य -

(1) दक्षेस में शामिल सभी देशों के बीच व्यापार का सन्तुलन करना तथा उसको बढ़ावा देना।

(2) इन सभी देशों में सामंजस्य स्थापित करना दक्षेश का प्रमुख कार्य है।

(3) दक्षेस सभी देशों को परस्पर जोड़ना चाहता है।

(4) दक्षेस मुख्य साधनों का प्रयोग कर इनका व्यापार बढ़ाना चाहता है।

लेकिन यह पाकिस्तान की नीतियों के कारण सम्भव नहीं हो रहा है। भारत-पाक विवाद को समाप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।

उ० 19 न्याय के दो रूप -

(1) कानूनी न्याय - कानूनी न्याय से तात्पर्य है कि कानून सभी व्यक्तियों का कानून के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में करें, सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानूनी न्याय मिलना चाहिए। कानूनी न्याय को ध्यान में रखकर सभी कार्य होने चाहिए यह दो बातों पर बल देता है -

(1) कानून को न्यायोचित कानून ही लागू करने चाहिए।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

(2.) ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए तथा सरकार द्वारा बनाये गये कानून न्यायोचित होनी चाहिए।

(3) सामाजिक न्याय - सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि सरकार समाज के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समझें, तथा सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। तथा समाज के प्रत्येक नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से समान समझा, तथा समान न्याय मिलना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए।

30. 20 समानता के चार प्रकार

(1) राजनीतिक समानता - एक व्यक्ति को मिलने वाली सभी राजनीतिक समानता दूसरे व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए। राजनीतिक रूप से व्यक्तियों को पूरी समानता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने, शासन कार्यों में भाग लेने व शासन चलाने की समानता होनी चाहिए तथा एक राष्ट्र द्वारा उसको प्रदान करनी चाहिए।

(2.) आर्थिक समानता - आर्थिक समानता से तात्पर्य है, कि सभी व्यक्तियों को आर्थिक रूप से

BSER 16/2019

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

समान समझा जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान आजीविका के साधन प्राप्त होने चाहिए। एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह बिना किसी वित्तिय स्थिति का सामना किये बिना अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके।

(3) सामाजिक समानता - समाज को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा समाज सभी को समान अवसर प्राप्त कराये। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, वर्ग के आधार पर व्यक्ति - व्यक्ति के बीच कोई भाव नहीं किया जाना चाहिए।

(4) प्राकृतिक समानता - प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान पैदा किया है, तथा सभी व्यक्तियों को सभी प्राकृतिक समानता मिलनी चाहिए एक राष्ट्र द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक समानता को दबाना नहीं चाहिए तथा उसको प्रकृति में समान रहना चाहिए।

30 21 राजनीतिक संस्कृति की विशेषता -

(1) समन्वयकारी राजनीति संस्कृति - समन्वयकारी राजनीति संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी देशों के राजनीति संस्कृति एक जैसी नहीं हो सकती हो, तथा भिन्न राष्ट्रों की

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक | प्रश्न संख्या | परीक्षार्थी उत्तर

राजनीतिक संस्कृति भिन्न-2 होती है, कोई भौगोलिक आधार पर भिन्न पाई जाती है, तो कोई पारस्परिक आधार पर भिन्न होती है।।

(2.) वितरात्मक राजनीतिक संस्कृति - यूरोपिय देशों के राजनीतिक संस्कृति वितरात्मक प्रकार की होती है इसके अन्तर्गत देशों की संस्कृति भिन्न होने के साथ-2, उन की कुछ उपसंस्कृतियाँ भी होती है, जैसे जर्मनी व फ्रांस।

(3.) आभिकरणीय राजनीतिक संस्कृति - वह राष्ट्र जिन की राजनीतिक संस्कृति शान्त पर आधारित है तथा इन की भी उपसंस्कृतियां पाई जाती है, यह राष्ट्र अपनी संस्कृति से अधिक प्रभावित होते है। तथा अपनी संस्कृति के माध्यम से ही विश्व में अपनी भूमिका निश्चित करते है।। आभिकरणीय राजनीतिक संस्कृति के उदा० है- अमेरिका, स्विजरलैण्ड आदि

(4.) हिंसक राजनीतिक संस्कृति - वह राष्ट्र जिनकी राजनीतिक संस्कृति हिंसक गतिविधियों पर आधारित होती है, तथा उन संस्कृतियों वहाँ की जनता बहुत दुःखी होती है, वह हिंसक की श्रेणी में आते है, जैसे- पाकिस्तान, चीन, उत्तरकोरिया आदि

BSER-165/2019

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

3

22 राजनीतिक समाजीकरण के चार साधन -

(1) परिवार - समाजीकरण का प्रमुख साधन है - परिवार, परिवार में बच्चे मे समाजीकरण का सर्वाधिक विकास होता है। आज्ञापालन की स्थिति बच्चा परिवार में ही सिखता है। बड़ों का आदर करना, बोलना, खाना-पीना लिखना, माता-पिता की आज्ञापालन करना आदि सभी बच्चा परिवार में ही सिखता है। इन सभी गतिविधियों को क्रियाशील बनाकर वह परिवार का क्रियाशील सदस्य बनता है।

(2) शिक्षण संस्थाऐं - बच्चा परिवार में जिन अभिव्यक्तियों को सिखता है, उनको और अधिक दृढ़ वह शिक्षण संस्थाओं में करता है, विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण शिक्षण संस्थाओं में ही होता है, शिक्षण संस्थाओं मे अनुशासन व आज्ञा-पालन करना सिखता है। तथा वह दो बातों से प्रभावित होता है।- (1) मित्र मंडली (2) अध्यापकों से।

(3) जनसंचार के साधन - जनसंचार के साधन भी समाजीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, तथा लोग इन के माध्यमों से एक-दूसरों से जुड़ते है, और उन से प्रभावित होकर समाजीकरण से जुड़ते है- जनसंचार के साधन- रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र, टेलीफोन, मिडिया आदि।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

(4.) राष्ट्रीय प्रतीक - राष्ट्रीय प्रतीक भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा ये इनके माध्यम से सभी के अन्दर देश प्रेम की भावना का संचार होता है, राष्ट्रीय प्रतीकों से भी प्रभावित होकर व्यक्ति समाजीकरण से जुड़ता है- राष्ट्रीय प्रतीक- राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह आदि

30 23 पर्यावरण-जागरूकता सम्बन्धी महत्वपूर्ण दिवसों दिनांक तालिका

	दिवस	दिनांक
(1)	विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
(2.)	विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
(3)	विश्व ओजोन दिवस	5 जून
(4)	विश्व जल दिवस	22 मार्च
(5.)	विश्व वनमोहत्सव दिवस	16 जुलाई
(6.)	मतदाता दिवस	25 जनवरी
(7)		

30 24 भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष व्यवस्था हो. भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तथा उन के लिए कुछ स्थानों पर विशेष छूट दे रखी है। पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है, उन के स्कूलों तथा कॉलेजों में छात्रवृति की व्यवस्था की गई है, इसके साथ ही, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा को निशुल्क बनाया गया है। और उन को शिक्षा

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

प्राप्त कराने के लिए विशेष प्रावधान किये गया है अल्पसंख्यकों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21(क) मे शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, तथा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। ताकि अल्पसंख्यकों या पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधर सके।

30. भ्रष्टाचार रोकने के चार प्रावधान -

(1) भ्रष्टाचार रोकने के लिए चुनाव की प्रत्यक्ष विधि को अपनाना चाहिए।

(2) राजनीति में शामिल भ्रष्टाचारीयों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

(3) भ्रष्टाचारियों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

(4) सभी राजनीतिकों के चुनाव सिधे जनता द्वारा किये जाने चाहिए।

(5) भ्रष्टाचार को उच्च स्तर पर ही समाप्त करना चाहिए।

(6) सरकार के अधिकांश मामले पारदर्शी होने चाहिए।

(7) इनको सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायलय की स्थापना करनी चाहिए।

(8) भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर कदम उठाना चाहिए।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

उ० 26 राष्ट्र संघ की असफलता को देखकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई स्थापना के समय उसमें 51 राष्ट्रों ने भाग लिया वर्तमान में सदस्य संख्या 193 पहुंच गई है। तथा 193 वां देश उत्तरी कोरिया है। इनके सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण व शक्ति सम्पन्न अंग है। सुरक्षा परिषद –।

वर्तमान सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है। जिनमें 5 स्थाई तथा 10 अस्थाई सदस्य है। स्थाई सदस्यों को वीटो की शक्ति मिली हुई है।

सुरक्षा परिषद के कार्य-

(1) सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है। विश्व शान्ति बनाये रखना।

(2) सुरक्षा परिषद महासभा के नये सदस्यों का निर्वाचन कर उनको मनोनित करती है।

(3) सुरक्षा परिषद न्यायालय के न्यायाधिशों को नियुक्त करती है।

(4) सुरक्षा परिषद सभी के वित्तीय कोष को निर्धारित करती है। तथा उसको बांटती है।

(5) सुरक्षा परिषद मतदान सम्बन्धित कार्य स्वयं करती है।

(6) लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ पांच स्थाई राष्ट्रों का आज्ञा मण्डल बनकर रह गई है। इसमें आवश्यक है कि इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाये तथा भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान को स्थाई राष्ट्र बनाया जाये।

परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर

Q. 27 कुछ परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष आन्दोलन आज भी प्रासंगिक है।

(1) विकासील देशों के प्रतिनिधि - गुट निरपेक्ष आन्दोलन विश्व मंच पर विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वहाँ पर विकासशील देशों की उपयोगिता को बताता है।

(2.) विकाशील देशों में व्यापार स्थापित्व - गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने ~~इस~~ विकासशील देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन दिया है तथा इनके व्यापारिक मार्ग खोल दो।

(3.) दक्षिण - दक्षिण सहयोग की दृष्टि से प्रासंगिकता - यह विकासशील देशों में सहयोग स्थापित करना चाहता है। और ~~विश्व~~ विकास शील देशों को विकसित बनाना चाहता है

(4.) सैनिक स्वरूप - गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का स्वरूप सैनिक है, लेकिन इसका अर्थ विद्रोह करना नहीं है, यह देशों को सहयोग से जोड़ना चाहता है ना कि आन्दोलन से।

(5.) गुट निरपेक्ष आन्दोलन विकाशील देशों को एक साथ जोड़कर एक विशिष्ट शक्ति बनाना चाहता है।

अतः इन कारणों से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन वर्तमान में भी प्रासंगिक्ता है।

समाप्त